कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजू सिंह पुत्र श्याम लाल नि0 हल्लापुरवा नगवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–189/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. स्वामीनाथ पुत्र बाके नि0 दलपतपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–210/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने मु0अ0सं0–103/21, धारा 60/60(2),72 आबकारी अधि0 व 272 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लालचन्द्र पुत्र मुन्ना उर्फ रामकिशोर नि0 नरायणपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.07.2021

चोरी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस ने मु0अ0सं0—118/21, धारा 457,380 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नानबच्चा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु व 01 अदद साड़ी बरामद किया गया। अभियुक्त ने वादी शिवा तिवारी पुत्र उमेश तिवारी नि0 भुलईडीह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के घर में चोरी किया था। इसके संबंध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नानबच्चा पुत्र बद्री नि0 बराहेमा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—118/21, धारा 457,380,411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0—118/21, धारा 457,380,411 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगीः—

01. 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु
02. 01 अदद साड़ी।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 अभिषेक मिश्रा।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.07.2021

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मु0अ0सं0–178/2021 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीप कुमार राजपूत को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. दीप कुमार राजपूत पुत्र उत्तम चन्द्र नि0 घुघेरा थाना नवरोता जनपद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–178/2021 धारा 363,366 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 वशी अहमद मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
जनपद गोण्डा
दिनांक–07.07.2021

अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, 03 अदद निर्मित व 10 अदद नाल व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार –:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस को अवैध शस्त्र रखने व उनका निर्माण करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे जिसके तहत थाना कटराबाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो अपने घर के सामने एक छप्पर के नीचे अवैध शस्त्र बनाने कार्य कर रहा है। इस सूचना पर दबिश देकर अभियुक्त रामभुलावन को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये। पूछताछ के दौरान अभियुक्त रामभुलावन ने बताया गया कि वह अपने घर पर काफी दिनो से अवैध शस्त्र फैक्टरी लगा रखी है वहीं से असलहो का निर्माण करता है तथा इन्हे बेचकर आर्थिक लाभ कमाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. रामभुलावन पुत्र छेदीलाल नि0 बांकेपुरवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी विवरण–

01. 03 अदद तमंचा 12 बोर।
02. 10 अदद नाल 12 बोर
03. 02 अदद लोहे का चाप वेल्डिंग शुदा।
04. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
05. एक अदद हथौड़ा।
06. चार अदद छिन्नी, दो अदद सुम्बी, पॉच अदद स्प्रिंग, एक अदद संगसी, एक अदद प्लास, एक अदद रेती, दो अदद पेचकस, पांच अदद लोहे की पत्ती, दो अदद ट्रेगर अर्धनिर्मित, एक अदद भठ्ठी मय रिम बेल्ट सहित।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–224/21, धारा 3/5(1)/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राजकुमार यादव मय टीम।